

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(मुशारी लाल शर्मा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

42 / 2021

18.11.2021

- 1-कैलाश पुत्र किशन लाल जाति गुर्जर निवासी पनवाड मोड तहसील देवली जिला टोंक
- 2-नरेश पुत्र किशन लाल जाति गुर्जर निवासी पनवाड मोड तहसील देवली जिला टोंक
- 3-हंसराज पुत्र किशन लाल जाति गुर्जर निवासी पनवाड मोड तहसील देवली जिला टोंक
- 4-गणेश पुत्र लादू जाति गुर्जर निवासी पनवाड मोड तहसील देवली जिला टोंक

बनाम

—अपीलान्ट

नायब तहसीलदार देवली जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार देवली
दिनांक 03.11.2021 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956


उपस्थिति : (1) श्री बनवारी लाल शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 25.11.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देवली ने अपने आदेश दिनांक 03.11.2021 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 92,96,103,106 व 107/3604 में से रकबा क्रमशः 0.50,0.54,1.35,0.19 व 0.06 है० किस्म चरागाह वाके ग्राम पनवाड मोड पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार देवली के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट्स जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।





बतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और न ही अपीलांट की प्रोपर तामिल हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पटवारी हल्का के बयान लिये बिना ही निर्णय पारित किया है। मौके पर वास्तविक रूप से बिना जांच किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स का उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं हैं। अपीलांट्स ने कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट्स की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट्स ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अपीलांट्स द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट्स की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलाण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट्स द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 92,96,103,106 व 107/3604 में से रकबा क्रमशः 0.50,0.54,1.35,0.19 व 0.06 है0 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली पर तारबंदी,मकान बाडा व जोत कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट्स द्वारा शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया। राजकीय परोकार ने भी अपीलांट्स द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.11.2021 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है,परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि नायब तहसीलदार देवली यह सुनिश्चित करेगे कि अपीलांट्स का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। तहसीलदार देवली यह सुनिश्चित करेगे कि अपीलांट्स का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट्स द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट्स कब्जा नहीं करेगा। यदि अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने



का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। नायब तहसीलदार देवली हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



25-11-2021
(मुरारी लाल शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर, टोक
देवली